

फर्द अहकाम

राहुल

बनाम

उदयनारायण वर्गै

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं० 159/2025

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.12.2025	<p>अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्टें हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजि०एडी० नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 24.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p> <p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2.1.26 को पेश हो।</p>	
	24.12.25		
	5.1.26	<p>प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाकत श्रीमत् सुनवार्ड फ्रेज करने पर पत्रावली धारा की फेरी में ली गयी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वाकत श्रीमत् सुनवार्ड इस सम्बन्ध में फेरा किया है कि वादग्रस्त धाराजी को मेरे पिता द्वारा विधिपूर्वक बेचान प्रतिकारी सं.०५ मूलसिंह को किया है। जिसकी जानकारी होने पर मैं इस प्रकार में कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार परमात्रा जाकर प्रार्थना पत्र सिद्धों के आदेश जारी करावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अधलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाकत सिद्धों स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.F.A. सिद्धों प्रार्थना पत्र के आधार पर स्वरिज किया गया। पत्रावली में लाल मुद्रा होकर नवांर ले कम होकर दाहिना मुद्रा है।</p> <p style="text-align: right;"><i>Handwritten signature</i></p>	<p>मैं अपने बारे को आगे नहीं चला चाहता इसलिए प्रार्थना को स्वीकार करनी चाहता हूँ।</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p> <p>5/1/26</p>